



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



सत्यमेव जयते

प्रादेशिक क्षेत्री / क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office  
पंचदीप भवन, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद, गुजरात - 380 009  
पंचदीप भवन, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद, गुजरात - 380 009  
Panchdeep Bhavan, Ashram Road, Ahmedabad, Gujarat - 380 009  
Phone : 079-27582400/455, E-mail : [rd-gujrat@esic.gov.in](mailto:rd-gujrat@esic.gov.in)  
Website : [www.rogujarat.esic.gov.in](http://www.rogujarat.esic.gov.in) / [www.esic.gov.in](http://www.esic.gov.in)

सं.37/A/13/12/01/13-Estt

दिनांक: 20-02-2026

**कार्यालय आदेश सं. 43 वर्ष 2026/Office Order No. 43 of 2026**

मुख्यालय कार्यालय के पत्र क्रमांक A-33/19/49/2022-E.II, दिनांक 10.11.2025 के अनुपालन में, दिनांक 18.12.2025 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिश पर, सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित कर्मचारी को नियमित आधार पर अवर श्रेणी लिपिक संवर्ग से प्रवर श्रेणी लिपिक संवर्ग में पदोन्नति के आदेश दिए हैं।

The Competent Authority has ordered the promotion of the following official from the Cadre of Lower Division Clerk to the Cadre of Upper Division Clerk on regular basis on the recommendation of Departmental Promotion Committee which met on 18.12.2025 in compliance of Hqrs. Office Letter No. A-33/19/49/2022-E.II dated 10.11.2025.

क्र. सं./ Sl. No.	कर्मचारियों के नाम (कुमार/श्री/श्रीमती) Name of officials (Kum./Sh./Smt.)	तैनाती का स्थान Place of posting	वर्ग Category	पदोन्नत वर्ग Promoted against category
1	Santosh Kumar Emp. No. 174937	SRO Vadodara	OBC	UR

उपर्युक्त कार्मिक जो अवर श्रेणी लिपिक संवर्ग में कार्य कर रहे हैं, उन्हें इस आदेश के अनुसार पदोन्नति पर प्रभार लेने के लिए कार्यमुक्त किया जाना है, उनका पदोन्नति उस तिथि से लागू होगा, जिस तिथि को वे इस आदेश के आधार पर प्रवर श्रेणी लिपिक के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

The aforesaid official who are working in the cadre of LDC, is to be relieved as per this order to assume charge on promotion, his promotion will take effect from the date on which they assume charge as UDC on the basis of this order.

प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नत होने पर, उपर्युक्त कार्मिक को FR22(I)(a)(1) के प्रावधानों के अनुसार, 7वें CPC पे मैट्रिक्स के लेवल - 4 में वेतन मिलेगी और उनकी वेतन, वेतन नियमों के अनुसार तय की जाएगी। कार्मिकों को पदोन्नति की तिथि से एक महीने के अंदर वेतन निर्धारण के लिए विकल्प चुनना होगा। उन्हें पदोन्नत पद का प्रभार लेने की तिथि से वास्तविक वेतन मिलेगी।

On promotion to the post of Upper Division Clerk, the above official will draw pay in Level - 4 of 7<sup>th</sup> CPC Pay Matrix as per the provisions of FR22(I)(a)(1) and their pay will be fixed as per Pay Rules. The Official shall exercise the option for fixation within one month from the date of promotion. They will draw actual pay from the date of assumption of charge to the promoted post.

अगर कर्मचारी पदोन्नति का प्रस्ताव अस्वीकार करते हैं, तो उन्हें पदोन्नति अस्वीकार

करने को तारीख से एक साल तक या अगली वेंकसी आने तक, जो भी बाद में हो, नियमित पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जिससे उनकी वरिष्ठता खत्म हो जाएगी, और प्रवर श्रेणी लिपिक संवर्ग में उनके अगले पदोन्नति की तारीख से पहले नियमित आधार पर पदोन्नत हुए दूसरे कर्मचारी उनसे वरिष्ठ हो जाएंगे।

If the official refuses the offer of promotion, he will not be considered for regular promotion for a period of one year from the date of refusal of promotion or till next vacancy arises, whichever is later, and will also be passed over resulting in loss of seniority, as per rule, and the other officials promoted on regular basis prior to the date of his next promotion to the cadre of Upper Division Clerk will become senior to him.

उपरोक्त कर्मचारियों को फिलहाल उसी जगह पर पदोन्नत किया गया है, और उनके स्थानांतरण/तैनाती से संबंधित स्थानांतरण/तैनाती आदेश उचित समय पर जारी किया जाएगा।

The above officials, for the time being, are promoted at the same place and his due transfer order involving transfer/posting will be issued in due course.

उपरोक्त कर्मचारियों का प्रवर श्रेणी लिपिक पद पर पदोन्नति, DPC की मीटिंग की तारीख से एक साल के अंदर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा तय किए गए प्रवर श्रेणी लिपिक या प्रवर श्रेणी लिपिक/रोकड़िया के पद पर पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण पूरी करने के अधीन होगा।

The promotion of the above officials to the post of U.D.C will be subject to completion of training for promotion to the post of U.D.C or U.D.C/C, as devised by ESIC, within one year of date of meeting of the DPC.

उपरोक्त पदोन्नति, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा DOPT O.M. No.F.No.36012/11/2016-Estt. (Res-I) (Pt-II) दिनांक 15.06.2018 के अनुसार पारित किए जाने वाले आगे के आदेशों के साथ-साथ माननीय CAT, अहमदाबाद बेंच के O.A No. 363/2025, दिनांक 22.09.2025 के आदेशों के परिणाम के अधीन होगा।

The above promotion shall be subject to further orders which may be passed by the Hon'ble Supreme Court as per DOPT O.M. No.F.No.36012/11/2016-Estt. (Res-I) (Pt-II) dated 15.06.2018 as well as the outcome of the orders of Hon'ble CAT, Ahmedabad Bench for O.A No. 363/2025, dated 22.09.2025.

कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति/स्वीकृति/अस्वीकृति की प्रति दिनांक 25.02.2026 तक प्रशासन शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद को प्रेषित की जाए।

Copy of joining/relieving/acceptance/refusal may be sent to Admin Br., R.O Ahmedabad by 25.02.2026.

Digitally signed by  
GAJENDRA TAKHUBHA MANDORA  
Date: 20-02-2026 07:41:62

(जी. टी. मंडोरा)  
उप निदेशक

सेवा में/To:-

1. The Person(s) concerned, through the respective Accounting Units.
2. The D.G., Estt.II Br., Hqrs. Office, New Delhi.
3. The Joint Director I/c, SRO Vadodara.
4. The Website Content Manager with a request to upload on Regional ESIC Website.
5. D.A. dealing with transfer posting/training for information.
6. O.O. File/P. File.

